न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/539

बंशीलाल आत्मज रामनारायण जाति अहीर निवासी बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
---अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज गिरधारी जाति अहीर ।
2. रामचन्द्र आत्मज पन्ना लाल जाति अहीर ।
3. मुकुट बिहारी आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर ।
4. श्याम बिहारी आत्मज रामचन्द्र जाति अहीर ।
5. रमणी शंकर आत्मज छीतर लाल जाति अहीर ।
6. केसरी लाल आत्मज गोपाल जाति बैरवा ।
7. गिरधारी आत्मज कल्याण जाति अहीर निवासीगण बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, दीगोद जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादी कम 01 के खाते में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 355, वादी कम 2 के खाते में 350 व 343, वादी कम 3 के खाते में खसरा नम्बर 356, वादी कम 4 के खाते में खसरा नम्बर 357, वादी कम 5 के खाते में खसरा नम्बर 327, वादी कम 6 के खाते में

खसरा नम्बर 339 व 342 तथा वादी कम 06 के खाते में खसरा नम्बर 355/620 की भूमियॉ स्थित चली आ रही है । प्रतिवादी कम 1 के खाते में खसरा नम्बर 334 व 348 की भूमि दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का केचमेंट विभाग द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उसके आधार पर दर्ज रास्ता के खसरा नम्बर 524 व 525 अंकित हैं जो खसरा नम्बर 539 के बने रास्ते से मिल जाता है । इसी रास्ते से होकर वादीगण अपने खेतों पर आते–जाते हैं । प्रतिवादी कम 2 द्वारा किये जा रहे सेटलमेंट दौरान प्रतिवादी कम 1 ने सेटलमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर जो नक्शा ट्रेस बनवाया है उसमें पुराने खसरा नम्बर 524 के रास्ते का नया खसरा नम्बर 113 अंकित किया गया है किन्तु पुराने खसरा नम्बर 525 के रास्ते का नम्बर ही कायम नहीं किया बल्कि प्रतिवादी कम 1 के खसरा नम्बर 334 व 348 में भी नहीं दिखाया बल्कि अन्य खसरा नम्बर 332 व 333 में दिखा दिया गया है किन्तु उस रास्ते को वहीं बन्द कर दिया है और पुराने खसरा नम्बर 539 के नये खसरा नम्बर 335 के रास्ते से नहीं मिलाया है जबकि उक्त रास्ता नये खसरा नम्बर 348 व 334 में होकर बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया और न नक्शा ट्रेस में दिखाया है जबकि उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है । प्रतिवादी कम 1 ने उक्त रास्ते को हांक कर अपने खेत में मिला लिया है और वादीगण का उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम बनेठिया के नक्शा ट्रेस सन् 1984–85 केचमेंट में दर्ज पुराने खसरा नम्बर 526 व 538 के सहारे बने खसरा नम्बर 525 के रास्ते को नया खसरा नम्बर अंकित करते हुए वर्तमन नक्शा ट्रेस में नये खसरा नम्बर 348 व 334 के सहारे आगे बढाते हुए नये खसरा नम्बर 335 के रास्ते से जोड कर अंकन कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को केचमेंट के नक्शे के अनुसार नये खसरा नम्बर 525 के रास्ते से होकर अपनी खातेदारी की भूमियों में आने–जाने से नहीं रोके व रास्ता खुलासा कर दे ।

4. प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 का काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट की सूचना प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट को दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । राजस्व रिकॉर्ड व बाद केचमेंट नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 332 व 333 की भूमि की ओर ही रास्ता कायम है कित उक्त रास्ते की भूमि को वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अपने खेतों में मिला लिया है । अपीलान्ट की भूमि की ओर कभी भी दास्ता नहीं रहा है बल्कि केचमेंट विभाजन द्वारा भू–सुधार कर रास्ता

खसरा नम्बर 332 व 333 की भूमि पर कायम किया गया है जो आगे जाकर खसरा नम्बर 113 की भूमि से मिल जाता है लेकिन वादीगण रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 332 व 333 की भूमि को अपने खेतों में मिला लिया है । इस कारण वादीगण रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता कायम करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट प्रतिवादी के खिलाफ हक घोषणा का दावा पेश किया । प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना उक्त वाद को लोक अदालत में रखा जिसकी सूचना प्रतिवादी अपीलान्ट को नहीं दी गई और बिना अपीलान्ट को सुने दावा वादी डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है फिर भी लोक अदालत में बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति के दावा डिक्री किया है और अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित हुए हैं । प्रतिवादी के द्वारा पूर्व में रास्ते को हांक कर नष्ट कर दिया है । वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में जवाब उल जवाब पेश हो चुका था इसके उपरान्त इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित हुए हैं परन्तु प्रतिवादी अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया और प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा